

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण गोहद  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 19/2014

संस्थित दिनांक—12.05.2009

फाइलिंग नं—2303030002322009

1. संदीप शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा आयु  
करीब 20 साल जाति ब्रा0 निवासी ग्राम  
उझावल पुलिस थाना मौ तहसील गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0 .....आवेदक

वि रु द्ध

- 1— महेन्द्रसिंह पुत्र कप्तानसिंह आयु 23 साल  
जाति गोले निवासी अंगसौली पुलिस थाना  
मौ तहसील गोहद हाल सत्यनारायण की टंकी  
के पास शिवनगर, घोसीपुरा मुरार ग्वालियर .....वाहन चालक
- 2— मोहरसिंह पुत्र नारायणसिंह परिहार आयु 28 साल  
जाति परिहार (मिर्धा) निवासी ग्राम मकाटा  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0  
हाल पान पत्ते की गोठ लश्कर ग्वालियर .....वाहन स्वामी
- 3— डिवीजनल मेनेजर,  
ओरियेन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,  
एम0जे0आर0 रोड लश्कर ग्वालियर म0प्र0  
पो0नं0153400/2008/3835 .....बीमा कंपनी  
.....अनावेदकगण

---

आवेदक द्वारा श्री महेश श्रीवास्तव एड0।  
अनावेदक क्रमांक—3 श्री आर0के0 वाजपेयी एड0।  
अनावेदक क्रमांक—1 व 2 पूर्व से एकपक्षीय।

---

### **—::— अधि—निर्णय —::—**

(आज दिनांक 02.03.2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदक की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत सडक दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय और भविष्य की क्षति के आधार पर अनावेदकगण के विरुद्ध कुल 37,14,500/— रुपये क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि दिनांक 02.12.08 को थाना मौ की चौकी झांकरी में मिनिबस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के चालक के विरुद्ध दुर्घटना की रिपोर्ट पर से अपराध दर्ज किया गया है। तथा यह भी निर्विवादित है कि उक्त बस दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी के यहाँ पैसेंजर केरिंग कमर्शियल व्हीकल के रूप में बीमित थी और 18-36 सवारियों के लिये जोखिम कवर था। यह भी निर्विवादित है कि आवेदक संदीप दुर्घटना के समय विद्यार्थी था।
3. आवेदक का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी बिजेन्द्रसिंह ने थाना मौ पर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की कि दिनांक 02.12.2008 को गुहीसर की ओर बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-224 नवोत्थान आवासीय विद्यालय चितौरा इण्टर कॉलेज की बस बच्चों को लेकर आ रही थी तथा झांकरी तरफ से मिनिबस क्रमांक- एम0पी0-07जी-3307 का चालक छरेंटा लेकर जा रहा था कि तभी झांकरी करवास के बीच पुलिया के बाद बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाकर बस क्रमांक-एम0पी0-07 एफ-224 में टक्कर मार दी। जिससे बस क्रमांक-एम0पी0-07-एफ-224 में बैठे बच्चे व अन्य लोग घायल हो गये। घायलों में नरेन्द्रसिंह, शोभाराम शर्मा, संदीप शर्मा, रायश्री, नेहा शर्मा, मोहनसिंह, विनय शर्मा, राजाराम शर्मा, कुलदीप व अन्य लोग हैं। जिनमें से कुछ लोगों को जनता के लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हेतु ले गये। जिसकी उसने थाना मौ पर रिपोर्ट की जिस पर से अप0क्र0-116/08 धारा-279, 337 भा.दं.वि.के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया। आवेदक संदीप शर्मा ने दुर्घटना में आई चोटों का प्रारंभिक उपचार सी0एच0सी0 गोहद में कराया गया एवं बाद में उसे जेएच ग्वालियर इलाज हेतु भेज दिया। जेएच केबाद उसने एमएस हॉस्पिटल में भी इलाज कराया और अभी भी इलाज चल रहा है। वह कक्षा 12 वीं का छात्र है तथा दूध बेचने का व्यवसाय भी करता है। जिससे वह 7000 रुपये प्रतिमाह कमाता था।
4. आवेदक ने यह भी व्यक्त किया कि दुर्घटना में दांये पैर की जांघ में चोटें आई हैं जिसके कारण वह चलने फिरने व बैठने में असमर्थ होकर विकलांग हो गया है। तथा हाथों एवं शरीर में कई जगह चोटें होने से उसकी पैर की कार्यक्षमता समाप्त हो गयी है। तथा वह भैंस का दूध भी नहीं निकाल पाता है। तथा लेट्रिन भी नहीं कर पाता है। तथा दूध का धंधा भी नहीं कर पा रहा है। तथा इलाज में, पौष्टिक आहार एवं दवाई में काफी खर्चा हुआ है तथा वह यदि पूर्णतः ठीक होता तो 33,60,000 रुपये कमाता। उसकी विवाह की संभावनाएँ भी क्षीण हो गयी हैं। अतः उसे कुल 37,14,500/-रुपये की क्षति हुई जो वह अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्कृततः पाने का पात्र है। इसलिये आवेदन स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।

5. अनावेदक क्र०-1 व 2 की ओर से प्रकरण में उपस्थित रहते हुए मूल आवेदन पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है और आवेदक के अभिवचनों का खण्डन नहीं किया है।
6. अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से मूल आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया है कि आवेदक ने आवेदन पत्र में अपनी आयु 20 वर्ष गलत अंकित की है। तथा उसने स्वयं को अध्ययनरत होना और दूध का धंधा करने वाली बात गलत लिखी है। वह कोई व्यवसाय नहीं करता है न ही 7000 रुपये प्रतिमाह कमाता है। तथा बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। न ही उसे कोई फ्रेक्चर या स्थाई विकलांगता हुई है। वाहन स्वामित्व के संबंध में वाहन का प्रमाणित रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया गया है जो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तथा चालक का प्रमाणित ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जो पेश नहीं किया गया है। तथा विशेष आपत्ति में यह भी व्यक्त किया गया है कि कथित घटना दिनांक को बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 के चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस, रूप परमिट एवं फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था जो कि पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। तथा बीमा धारक/वाहन स्वामी की सहमति से पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वाहन को चलाये जाने से अनावेदक क्र०-3 का कोई दायित्व नहीं है। तथा उक्त बस में घटना दिनांक को पॉलिसी की शर्तों के विपरीत ओवरलोडिंग यात्री ले जाये जा रहे थे। इसलिये अनावेदक क्र०-3 का कोई दायित्व नहीं है।
7. अनावेदक क्र०-3 ने यह भी अपने जवाब दावे में व्यक्त किया है कि कथित घटना बस क्रमांक-एम0पी0-07 एफ-224 के चालक के द्वारा बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर कारित की है इसलिये उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-224 के चालक के द्वारा लापरवाही एवं उपेक्षा से दुर्घटना कारित करने से उक्त बस के चालक एवं स्वामी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिसके अभाव में प्रकरण संचालन योग्य नहीं है तथा बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के स्वामी व चालक के द्वारा घटना की कोई भी जानकारी बीमा कंपनी को नहीं दी गई है जो कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दी जाना आवश्यक था। तथा अनावेदक क्र०-1 व 2 ने दुरभि संधि कर ली है जिससे अनावेदक क्र०-3 के हितों को क्षति पहुंचने की संभावना है। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम आवेदन सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।
8. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1 क्या दिनांक 02.12.2008 को सुबह नौ बजे करवास झांकरी रोड मौ पर बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 को अनावेदक क्र0-1 के चालक के द्वारा तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आवेदक की बस में टक्कर मारकर गंभीर उपहति कारित की ?	
2 क्या उक्त दुर्घटना में आई हुई चोटों से आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई है?	
3 क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बस बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था यदि हाँ तो प्रभाव-	
4 क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, यदि हाँ तो किससे व कितना कितना?	
5 सहायता एवं व्यय?	

### —:- निष्कर्ष के आधार —:-

9. प्रकरण में आवेदक की ओर से स्वयं आवेदक संदीप शर्मा आ0सा0-1, संजय शर्मा आ0सा0-2, एवं सुजानसिंह आ0सा0-3 के कथन कराये गये हैं तथा सूची अनुसार प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-23 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी की ओर से सूर्यकांत अना0सा0-1 का कथन कराया गया है एवं प्र0डी0-1 लगायत प्र0डी0-3 के दस्तावेज पेश किये गये हैं।

### —:- वा द प्र श न क मां क-1 —:-

10. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से आवेदक संदीप आ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि दिनांक 02.12.08 को सुबह करीब 9.00 बजे वह स्कूल बस से ग्राम उझावल से चितौरा जा रहा था। तभी करवास से झांकरी तरफ आने वाली सडक पर उनकी बस पुलिया के पास पहुंची तो उनकी स्कूल बस में अन्य बस क्रमांक-एम0पी0-जी-3307 के चालक महेन्द्र ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर सामने से लाते हुए स्कूल बस में टक्कर मार दी थी जिससे स्कूल बस में बैठी कई सवारियों को चोटें आई थीं उसे भी चोटें आई थीं और उसके दांये पैर की जांघ में खून निकला था, हाथ में भी चोटें आई थीं, जांघ में फ्रेक्चर हो गया था, जिसकी पुलिस थाना मौ में रिपोर्ट हुई थी और पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था जिसका दाण्डिक प्रकरण जेएमएफसी गोहद के न्यायालय में विचाराधीन है और उसका मेडिकल भी हुआ था। आवेदक ने उक्त आशय के अभिसाक्ष्य के

समर्थन में थाना मौ में पंजीबद्ध हुए अप0क0-116/08 धारा-279,337, 338 भा.दं.वि.के जेएमएफसी न्यायालय गोहद में पेश किये गये अभियोग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र0पी0-1, एफ0आई0आर0 प्र0पी0-2, व 3, नक्शामौका प्र0पी0-4, दुर्घटनाकारी बस का जप्ती पत्र प्र0पी0-5, घटनास्थल से स्कूल बस की जप्ती का जप्ती पत्र प्र0पी0-6, पुलिस द्वारा आवेदक का कराया गया मेडिकल प्रमाण पत्र प्र0पी0-7 व एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0-8 पेश किये हैं।

11. आवेदक संदीप आ0सा0-1 ने पैरा-4 में यह भी बताया है कि वह स्कूल की बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-224 में बैठकर यात्रा कर रहा था और स्कूल का विद्यार्थी था। तथा वह बस में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठा था। जिस बस ने टक्कर मारी थी वह हरे रंग की थी। उनकी बस को नरेन्द्र चला रहा था। पैरा-5 में यह भी कहा है कि उसके अलावा शोभा शर्मा, रामूशर्मा, व नेहा शर्मा जिसके पिता का नाम उमाशंकर शर्मा है, वह भी बस में थे और उसका गोहद में भी इलाज हुआ था। फिर ग्वालियर में भी उसका एम0एस0 हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। पैरा-7 में उसने यह स्वीकार किया है कि बस क्रमांक-एम0पी0-07 एफ-224 का चालक बस को तेजी व लापरवाही से चला रहा था जिससे दुर्घटना घटित हुई थी। फिर उसने स्वतः कहा कि उक्त बस धीमी चल रही थी।

12. आवेदक के अन्य साक्षी संजय शर्मा आ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में आ0सा0-1 की तरह घटना बताई है और पैरा-5 में यह भी कहा है कि घटना के समय दोनों बसों को पकड़ लिया गया था। दुर्घटना में दोनों बसों की लापरवाही व उपेक्षा रही थी। संदीप को कई जगह चोटें आई थीं और वह उस समय नवोत्थान स्कूल चितौरा में पढ़ता था। सुजानसिंह आ0सा0-3 ने भी दुर्घटना के संबंध में आवेदक का अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है।

13. प्रकरण में अनावेदक क0-1 व 2 वाहन स्वामी व चालक एकपक्षीय हैं। उनकी ओर से साक्ष्य पेश नहीं हुई है और अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी की ओर से सूर्यकांत लीगल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफीसर ओरियेन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय ग्वालियर का अनावेदक साक्षी क0-1 के रूप में अभिसाक्ष्य कराया है। जिसने दुर्घटना घटित होने के संबंध में अपने अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य नहीं बताये हैं। बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में साक्ष्य दी है जिसके संबंध में पृथक से वाद प्रश्न क्रमांक-3 निर्मित है जिसमें उसकी साक्ष्य का विश्लेषण किया जावेगा।

14. तर्कों में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ग्रामीण परिवेश का है और उसके द्वारा जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उससे बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के चालक की उपेक्षा एवं उतावलेपन से दुर्घटना घटित हुई थी। स्कूल बस चालक की लापरवाही नहीं थी। न ही स्कूल बस चालक के विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसलिये दुर्घटना प्रमाणित होती है और वाद प्रश्न क्रमांक-1 आवेदक के पक्ष में निर्णीत किया जाये जबकि अनावेदक क0-3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में मूलतः दुर्घटना बाबत यह व्यक्त किया है कि स्वयं आवेदक व उसके साक्षी संजय क्रमशः आ0सा0-1 व आ0सा0-2 ने दुर्घटना में दोनों बसों की लापरवाही और उपेक्षा बताई है। इसलिये मामला अंशदायी उपेक्षा का है और मिनि बस क्रमांक-एम0पी0-07 एफ/224 के मालिक

चालक व बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया गया है। इसलिये दुर्घटना के लिये उनकी बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती है। और स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य होती है जिसके खण्डन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने भूल से पैरा-7 में स्वीकृति की थी जिसे बाद में उसने स्पष्ट किया है और अंशदायी उपेक्षा का कोई मामला नहीं है न ही इस संबंध में अभिवचन किये गये न कोई वाद प्रश्न निर्मित हुआ।

15. अभिलेख पर आवेदक की ओर से जो मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य उक्त वाद प्रश्न के संबंध में पेश हुई है उसमें थाना मौ में पंजीबद्ध हुआ अप0क0-116/08 से संबंधित एफआईआर, नक्शामौका व अभियोग पत्र, जप्ती, एमएलसी रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट इत्यादि का कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि जहाँ मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश होती हैं वहाँ दस्तावेजी साक्ष्य प्रभाव रखती है। हालांकि यह सही है कि आवेदक संदीप आ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-7 में इस आशय की स्वीकारोक्ति की है कि बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-224 के चालक की तेजी व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई। किन्तु उसने तत्काल ही स्वतः में यह भी कहा कि उक्त बस धीमी चल रही थी। इसके पूर्व भी वह दुर्घटना बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के चालक की बस को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप होना बताता है।

16. आवेदक की संपूर्ण अभिसाक्ष्य के परिशीलन से पैरा-7 में जो बस क्रमांक-एम0पी0-07एफ-224 बताया गया है वह संभवतः भ्रम में पडकर या भूल से बताया होगा। अन्यथा वह स्वतः ही बस धीमी चलने की बात न कहता। संजय आ0सा0-2 अवश्य दोनों बसों की उपेक्षा बताता है किन्तु इस संबंध में अनावेदक क0-3 की ओर से स्पष्ट अभिवचन नहीं किये गये इस कारण अंशदायी उपेक्षा या पक्षकारों के असंयोजन संबंधी कोई वाद प्रश्न निर्मित नहीं हुआ है। और वाद प्रश्न क्रमांक-1 के विश्लेषण में यह विनिश्चित होना है कि अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी के यहाँ बीमित बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 की उपेक्षा या उतावलेपन से दुर्घटना घटित हुई और आवेदक को गंभीर उपहति पहुंची। इस संबंध में अभिलेख पर स्पष्ट और सुदृढ़ दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य है और दुर्घटना बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के चालक की उपेक्षा या उतावलेपन का परिणाम होना प्र0पी0-1 लगायत 6 के दस्तावेजों से प्रमाणित होता है। प्र0पी0-7 की एमएलसी रिपोर्ट से संदीप शर्मा आ0सा0-1 के दाहिने पैर में जांघ में और हाथ में चोटें होना पाया गया है। तथा प्र0पी0-8 की एक्सरे रिपोर्ट मुताबिक फीमर नामक हड्डी में अस्थिभंजन पाया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं है, इससे भी आवेदक को उक्त दुर्घटना में गंभीर उपहतिकारित होना प्रमाणित हो जाता है। और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जो दर्शित करता हो कि दुर्घटना बस क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 के चालक अनावेदक क0-1 के द्वारा घटित नहीं की गई हो। ऐसी स्थिति में वाद प्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित होता है।

17. आवेदक ने यहाँ तक स्पष्ट किया है कि जिस बस ने टक्कर मारी थी वह हरे रंग की थी जिसकी पुष्टि प्र0पी0-5 के जप्ती पत्र से भी होती है जिसमें स्पष्ट रूप से बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 हरे रंग की

होना अंकित है। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 आवेदक के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराया जाता है।

—::— वा द प्र श न क मां क-2 —::—

18. वाद प्रश्न क्रमांक-1 की भांति ही उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार आवेदक पर है। आवेदक की ओर से इस संबंध में दिये गये मौखिक साक्ष्य में यह बताया गया है कि वह घटना के समय विद्यार्थी था और स्कूल बस से पढ़ने गया था जिसमें ओर भी सवारियाँ थीं। दुर्घटना में उसकी जाँघ में फ्रेक्चर हो गया था जिससे उसका पैर छोटा हो गया है और स्थाई असक्तता आ गयी है। घटना के बाद उसका इलाज हुआ था व मेडिकल परीक्षण गोहद व ग्वालियर में हुआ था। उसे जे0ए0एच0 हॉस्पिटल ग्वालियर रिफर किया गया था। ग्वालियर में उसका प्राईवेट अस्पताल एम0एस0 हॉस्पिटल में डॉ0 अनुपम गुप्ता द्वारा इलाज व ऑपरेशन किया गया था। और उसकी पैर में प्लेट डाली गई थी। जिससे उसका पैर छोटा हो गया है। घटना के समय वह कक्षा ग्यारहवीं का छात्र था और बीस वर्ष का नवयुवक था। दुर्घटना के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया है। तथा उसका दुर्घटना के कारण जीवन प्रभावित हुआ है और पढ़ाई भी छूट गई है। यदि उसका जीवन प्रभावित नहीं होता तो 60 साल तक कार्य करता तथा उसके कारण वह दाम्पत्य सुख से भी वंचित हो गया है। उसमें विवाह आदि की संभावना में भी कमी व्यक्त की है। इस संबंध में उसने कराये गये इलाज संबंधी बिल व पर्चे तथा ऑपरेशन संबंधी पर्चे व विकलांगता प्रमाण पत्र पेश किये हैं। पैरा-5 में उसका यह भी कहना है कि वर्तमान में भी उसका डॉ0 अनुपम गुप्ता के यहाँ इलाज चल रहा है और दवाईयाँ आदि वह लेता है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि न्यायालय में वह स्वयं चलकर बयान देने आया है, बिना किसी सहायता के कथन दे रहा है। लेकिन मेहनत मजदूरी करने, भागदौड़ करने के लिये पूर्णतः स्वस्थ होने से उसने इन्कार किया है। पैरा-6 में यह भी कहा गया है कि दुर्घटना के कारण वह परीक्षा में भी नहीं बैठ पाया है।
19. संजय शर्मा अ0सा0-2 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में संदीप आ0सा0-1 के अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हुए डॉ0 अनुपम गुप्ता के यहाँ संदीप का इलाज होने की बात बताई है। और 2-3 बार इलाज को साथ में अपने मोटरसाइकिल से ले जाना भी बताता है। और यह कहता है कि आवेदक संदीप चलने फिरने लगा है केवल लंगडाता है और अभी कोई काम नहीं कर पाता है ऐसा ही सुजानसिंह आ0सा0-3 ने भी पैरा-4 में बताया है।
20. स्थाई निःशक्तता के संबंध में अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। आवेदक साक्षियों पर ही प्रतिपरीक्षण में ही स्थाई निःशक्तता नहीं आने का सुझाव देकर खण्डन किया है जिसे साक्षी ने इन्कार किया है। इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दुर्घटना के कारण आवेदक लंबे समय से उपचाररत है और उसके पैर में स्थाई निःशक्तता आ गई है जिससे वह कोई काम नहीं कर पाता है। तथा उसका पैर भी छोटा हो गया है और उसके शरीर में दस प्रतिशत की कमी स्थाई रूप से आ गयी है। इसलिये उक्त वाद प्रश्न आवेदक के पक्ष में प्र0पी0-23 के प्रमाण पत्र अनुसार निर्णीत किया जाये। जबकि अनावेदक क्र0-3 के विद्वान



अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक पूर्णतः स्वस्थ है उसे कोई स्थाई निःशक्तता नहीं आई है और आवेदक की ओर से इस संबंध में चिकित्सक का कथन नहीं कराया गया है। खाली प्रमाण पत्र पेश किया गया है। उसमें स्थाई निःशक्तता नहीं बताई गई है इस लिये वाद प्रश्न अप्रमाणित किया जाये।

21. इस संबंध में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्र०पी०-8 मुताबिक आवेदक के दांये पैर की जांघ में फीमर नामक हड्डी के निचले एक तिहाई हिस्से में अस्थिभंगजन दुर्घटना के कारण आना बतायी गई है। आवेदक की ओर से इस संबंध में जो अन्य चिकित्सीय दस्तावेज पेश किये गये हैं उसमें एम०एस० हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड ग्वालियर के इलाज का पर्चा प्र०पी०-9 पेश किया गया है जिसका खण्डन नहीं है और उसका अवलोकन करने पर आवेदक संदीप डॉ० अनुपम गुप्ता के उक्त अस्पताल में दिनांक 02.12.08 अर्थात् दुर्घटना दिनांक को ही भर्ती हुआ था। जिसके दाहिने पैर की फीमर नामक हड्डी में अस्थिभंग था जिसका दिनांक 03.12.08 को ऑपरेशन हुआ था। जहाँ वह दिनांक 05.12.08 तक भर्ती रहा। अर्थात् उसका चार दिन भर्ती रहकर उपचार व ऑपरेशन हुआ है।

22. स्थाई निःशक्तता के संबंध में आंकलन करते समय आहत की सर्वप्रथम उम्र निर्धारित करना, तत्पश्चात उसकी आमदनी निर्धारित करना और उसके पश्चात निःशक्तता से उसकी कमी निर्धारित करना होता है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम विचाराधीन मामले में आवेदक की उम्र का आंकलन किया जाये तो दुर्घटना के समय पुलिस द्वारा किये गये अनुसंधान की कार्यवाही में आवेदक संदीप की उम्र एम०एल०सी० रिपोर्ट मुताबिक 21 वर्ष अर्थात् एक्सरे रिपोर्ट 22 वर्ष आंकलित की है। डॉ० अनुपम गुप्ता के एम०एस० हॉस्पिटल के प्र०पी०-9 के दस्तावेज में 22 वर्ष अंकित है। और प्रकरण में इस संबंध में आवेदक के कक्षा-11वीं की अंकसूची प्र०पी०-21 तथा हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 10+2 वर्ष 2007 की अंकसूची प्र०पी०-22 के रूप में पेश की गई है जो कि आयु के संबंध में अधिक विश्वसनीय दस्तावेज है जिसमें आवेदक की जन्म दिनांक 01 मई 1986 अंकित है। जिसके आधार पर दुर्घटना दिनांक को भी उम्र का आंकलन किया जाये तो आवेदक की उम्र 22 वर्ष 07 माह और 01 दिवस होता है। अर्थात् आवेदक 21 से 25 वर्ष की श्रेणी के अंतर्गत मुआवजा के दृष्टिकोण से आता है।

23. जहाँ तक आवेदक की आय का प्रश्न है, निर्विवादित रूप से आवेदक दुर्घटना के समय विद्यार्थी था। हालांकि आवेदक ने अपने अभिवचनों में और मौखिक साक्ष्य में विद्या अध्ययन के साथ साथ दूध विक्रय का धंधा करना भी बताया है जिससे वह सात हजार रुपये मासिक की आय बताकर आया है। हालांकि अनावेदक बीमा कंपनी ने इस तरह की आवेदक की कोई आय होने से इन्कार किया है। आवेदक के अन्य साक्षी संजय शर्मा अ०सा०-2 ने भी आवेदक का दूध का धंधा करना बताया है जिससे उसे साढ़े सात हजार रुपये मासिक आमदनी होना बताता है जिसने दूध उससे व विनोद श्रीवास्तव से लेकर बेचने की बात बताई है। और यह भी कहा है कि दूध आवेदक साईकिल से बेचता था जिसमें वह असमर्थ हो गया है और उसकी पढाई भी बंद हो गयी है। लेकिन अ०सा०-2 ने यह स्वीकार किया है कि उसके पास संदीप को दूध बेचने के संबंध में कोई लिखापढी नहीं है और संदीप दूध कहाँ



बेचता था, किसे बेचता था इसकी भी उसे कोई जानकारी नहीं है। तथा यह भी स्वीकारोक्ति की है कि आवेदक उसके गांव का है और उसका मित्र है। सुजानसिंह अ०सा०-3 ने भी आवेदक की पढाई के साथ साथ दूध विक्रय की भी बात बताई है। किन्तु पैरा-4 में उसने यह भी बताया है कि संदीप दूध किसके यहाँ से लेता था, कहाँ बेचता था, कितने रुपये कमाता था, इसकी उसे जानकारी नहीं है लेकिन गांव से दूध लेता और बेचता था, यह उसे पता है।

24. आवेदक जो कि दुर्घटना के समय ही 22 वर्ष 07 माह की उम्र का युवक था, उसकी पढाई के साथ साथ काम धंधा करने की बात को सिर से केवल इस आधार पर अग्राह्य या अविश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है कि कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है क्योंकि मौखिक साक्ष्य दी गई है और उसका कोई खण्डन अनावेदकगण की ओर से नहीं है तथा दुर्घटना संबंधी क्षतिपूर्ति के दावों में साक्ष्य के संबंध में कठोरता के नियम को लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि क्षतिपूर्ति विधि कल्याणकारी उपबंध है। जैसाकि न्याय दृष्टांत नेशनल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड बनाम दीपचंद 2004 भाग-2 एम०पी०एल०जे० एस०एन०-30 में मार्गदर्शन दिया गया है।

25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चोटों की प्रकरण में क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु न्याय दृष्टांत राजकुमार विरुद्ध अजयकुमार 2001 (1)ए०सी०सी०-343 में मुख्य कदम विश्लेषित किया गया है और जो मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं उसमें यह बताया गया है कि अधिकरण को सबसे पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि आवेदक को कोई स्थाई अयोग्यता आई है और आई है तो कितनी जिसके लिये जो मानदण्ड बताया गया है उसमें उन बिन्दुओं पर विचार करके निष्कर्षित करना चाहिए कि क्या अयोग्यता स्थाई है अथवा अस्थायी है, यदि स्थाई है तो क्या वह आंशिक है या पूर्ण स्थाई अयोग्यता है, अयोग्यता का प्रतिशत किस अंक विशेष के संबंध में कितना है और उससे उसके पूरे शरीर पर क्या प्रभाव है? अर्थात् पूरे शरीर के मान से अयोग्यता का प्रतिशत कितना है तथा उसको स्थाई अयोग्यता से अर्जन क्षमता प्रभावित हुई है और हुई है तो वह कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और कौनसी नहीं कर सकता है। उसका पूर्व का क्या व्यवसाय था, उसके कार्य की प्रकृति क्या थी और उसकी आयु क्या थी और आजीविका कमाने में वह पूर्णतः अयोग्य हो चुका था, क्या स्थाई अयोग्यता होते हुए भी वह प्रभावी रूप में कार्य और गतिविधियाँ कर सकता था जो पहले करता रहा है।

26. न्याय दृष्टांत मोहनसोनी विरुद्ध रामअवतार एआईआर 2012 एस०सी० पेज-782 में यह मार्गदर्शित किया गया है कि भविष्य की आमदनी की हानि का निर्धारण आहत के किये जाने वाले कार्य की प्रकृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए। क्योंकि एक ही प्रकार की चोट दो अलग-अलग प्रकार के कार्य करने वाले आहतों के अलग-अलग प्रकार से प्रभावित करती है। जैसा एक साईकिल रिक्शा चलाने वाले की एक टांग का टूट जाना या किसी ऐसे किसान की टांग का टूट जाना जो स्वयं खेती करता है और दूसरी ओर किसी ऐसे व्यक्ति की टांग का टूट जाना जो टेबिल पर बैठकर लिखापढी का काम करता है दोनों के प्रभाव अलग-अलग होते हैं। टांग के

टूट जाने पर टेबिल पर बैठकर काम करने वाले की अर्जन क्षमता वैसी प्रभावित नहीं होती है जैसा कि साइकिल रिक्शा या स्वयं खेती करने वाले किसान की अर्जन क्षमता प्रभावित होती है।

27. विचाराधीन मामले में आवेदक ने दुर्घटना में आई चोट से दाया पैर छोटा हो जाना स्थाई रूप से उसमें निःशक्तता आ जाना कहा है किन्तु निःशक्तता के संबंध में इलाज करने वाले चिकित्सक या जिसकी देखरेख में इलाज हुआ हो उससे संबंधित कोई चिकित्सक को पेश नहीं किया गया है जो इस संबंध में रोशनी डाल सकता था। लेकिन निःशक्तता प्रमाण पत्र प्र0पी0-23 के रूप में पेश किया है जिसमें आवेदक की लोकमोटर निःशक्तता बताई गई है। और प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि Operated case of fracture S/F (R)interlocked ball united three year old only little leg at its examined disability only ten percent recoverable अंकित किया है। चिकित्सक की साक्ष्य के अभाव में यदि प्र0पी0-23 के प्रमाण पत्र को उसी अनुरूप ही ग्रहण किया जाये तो उक्त प्रमाण पत्र दिनांक 6.02.13 को जारी हुआ है। जिसमें तीन वर्ष पुरानी चोट होने का उल्लेख किया है। अर्थात् चोट वर्ष 2010 की हो सकती है। जबकि प्रकरण की दुर्घटना दिनांक 02.12.08 की बताई गई है। जो प्रमाण पत्र से पांच वर्ष पूर्व की है। इससे यह शंका उत्पन्न होती है कि जो स्थाई निःशक्तता उल्लेखित की गई है वह दुर्घटना से पहुंची क्षति की है या अन्य कोई बाद में भी घटना या दुर्घटना घटी हो, उससे आई हो। प्र0पी0-23 में पैर कितना छोटा हुआ है इस संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में विकलांगता के प्रतिशत के अनुमान बाबत चिकित्सीय विशेषज्ञता के संबंधमें जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं उनमें पैर के एक इंच छोटा होने पर दस प्रतिशत की स्थाई निःशक्तता आंकलित किये जाने का मार्गदर्शन दिया गया है। किन्तु प्र0पी0-23 में पैर एक इंच छोटा हो गया हो, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। तथा प्र0पी0-23 के प्रमाण पत्र के आधार पर स्थाई निःशक्तता नहीं मानी जा सकती है क्योंकि उक्त दस्तावेज में जारीकर्ता चिकित्सक ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि चोट रिकवरेबिल होने यानि ठीक होने योग्य है। हालांकि वह कितनी अवधि में ठीक हो सकती है इसका भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है किन्तु इतना तो निश्चित रूप से उक्त दस्तावेज के आधार पर यदि निःशक्तता सुसंगत घटना की ही मान जी जाये तब भी यह स्पष्ट होता है कि चोट ठीक हो सकती है। अर्थात् वह स्थाई रूप से आजीवन बने रहने की नहीं है। इसलिये प्र0पी0-23 के आधार पर दस प्रतिशत की स्थाई निःशक्तता न तो पूरे शरीर के मान से मानी जा सकती है न ही दाहिने पैर की चोट के लिये आजीवन की मानी जा सकती है।

28. ऐसे में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निकलता है कि आवेदक को दुर्घटना के कारण हुए अस्थिभंगन के फलस्वरूप स्थाई निःशक्तता नहीं आई है बल्कि अवधि विशेष (पीरिओडिकल) श्रेणी की निःशक्तता है। क्योंकि दुर्घटना के पांच वर्ष बाद प्रमाणपत्र जारी होते समय भी निःशक्तता तो बताई गई है जो कि ठीक होने योग्य है। चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में आवेदक की अर्जन क्षमता की कमी का आंकलन भी नहीं किया जा सकता है। न ही स्थाई निःशक्तता मानी जा सकती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भैयालाल विरुद्ध सुरेश कुमार 2009 (1) ए**

**0सी0टी0 पेज-28** में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक-2 अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

— वा द प्र श न क मां क-3 —

29. इस वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क0-3 पर है। और इस संबंध में अनावेदक क0-3 की ओर से पेश की गई साक्ष्य में सूर्यकान्त अना0सा0-1 का अभिसाक्ष्य कराया गया है। जिसने ओरियेन्टल इंश्योरेंस कंपनी डिविजनल ऑफिस में प्रशासनिक अधिकारी विधि के पद पर पदस्थ रहते हुए यह व्यक्त किया है कि वाहन क्रमांक-एम0पी0-07जी-3307 का बीमा उनकी कंपनी द्वारा दिनांक 02.12.08 से 20.02.09 की अवधि के लिये मोहरसिंह के नाम से किया गया था जो पैसंजर केरिंग कमर्शियल व्हीकल बस का था। और बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक चालक के पास उक्त वाहन को चलाने का वैद्य एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स, रूट परमिट, फिटनेस होना आवश्यक है। चालक महेन्द्रसिंह के ड्रायविंग लायसेन्स का सत्यापन आर0टी0ओ0 कार्यालय ग्वालियर से कराया गया था जिसमें यह पाया गया कि घटना दिनांक 02.12.08 को महेन्द्रसिंह के पास एल0एम0व्ही0 एम0पी0 का लायसेंस था। ट्रान्स्पोर्ट व्हीकल चालक का ड्रायविंग लायसेन्स नहीं था। इसलिये बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। तथा यह स्वीकार किया है कि बीमा करते समय केवल रजिस्ट्रेशन देखा जाता है और निर्धारित प्रारूप में जानकारी ली जाती है। उस समय फिटनेस ड्रायविंग लायसेन्स आदि नहीं देखे जाते हैं और जो बीमा किया गया था वह 18-36 सवारियों के लिये था जिसमें तृतीय पक्ष की जोखिम कवर थी। और उसका प्रीमियम भी लिया गया था। इस प्रकरण में आवेदक तृतीय पक्ष है जिसका बीमा प्रीमियम अनावेदक कंपनी द्वारा लिया गया है।

30. प्र0डी0-1 के रूप में बीमा पॉलिसी और प्र0डी0-2 के रूप में आर0टी0ओ0 कार्यालय ग्वालियर से दुर्घटनाकारित बस क्रमांक-एम0पी0-07 जी-3307 के चालक के ड्रायविंग लायसेन्स की कराई गई जांच की विवरणी है। तथा प्र0डी0-3 के रूप में बीमा कंपनी द्वारा विभागीय स्तर पर कराई गई इन्वेस्टिगेशन जांच रिपोर्ट को पेश किया है। चूंकि तृतीय पक्ष की जोखिम बीमा पॉलिसी की शर्त मुताबिक कवर है और आवेदक तृतीय पक्ष की श्रेणी में आता है इसलिये उसकी क्षतिपूर्ति के मामले में दुर्घटनाकारी वाहन के चालक के ड्रायविंग लायसेन्स की त्रुटि का आवेदक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकतम बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की भरपाई वैधानिक कार्यवाही करके दुर्घटना कारित वाहन के मालिक व चालक से उल्लंघन होने से वसूल सकती है इसलिये विचाराधीन मामले पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन की दशा में आवेदक तृतीय पक्ष होने से उसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फलतः उक्त निष्कर्ष के साथ वाद प्रश्न क्रमांक-3 प्रमाणित निर्णीत किया जाता है, जिसका प्रभाव यह रहेगा कि बीमा कंपनी की ओर से भुगतान की गयी राशि अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 से वसूल कर सकती है।

— वा द प्र श न क मां क-4 —

31. इस संबंध में आवेदक ने अपने अभिवचनों में गोहद व

ग्वालियर के अस्पतालों में कराये गये इलाज में आवेदन प्रस्तुति के पूर्व तक इलाज खर्च मद में 87 हजार रुपये खर्च करना, इलाज के दौरान अटेण्डर पर 18 हजार रुपये खर्च करना, पौष्टिक आहार मद में 20 हजार रुपये खर्च करना, तथा इलाज के लिये आवागमन में 10 हजार रुपये खर्च करना, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड आदि में 4500/- रुपये खर्च करना तथा दुर्घटना के कारण कोचिंग की फीस एवं परीक्षा में शामिल न हो पाने से वर्ष भर में शिक्षा पर खर्च किये गये 75 हजार रुपये खर्च होना बताये हैं। मानसिक पीडा के लिये 40 हजार रुपये की मांग की गई है। स्थाई निःशक्तता के आधार पर 07 हजार रुपये मासिक आय की दर से कार्य क्षमता में 70 से 80 प्रतिशत की कमी के आधार पर 33,60,000 रुपये और विवाह की संभावना में कमी के लिये एक लाख रुपये की मांग करते हुए **कुल 37,14,520/- रुपये** और उस पर दुर्घटना दिनांक से अदायगी तक बारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की मांग की गई है। जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें आवेदक संदीप अ0सा0-1 ने इसी अनुरूप मुख्य परीक्षण में कथन देते हुए यह कहा है कि इलाज के लिये 5-6 बार प्राईवेट जीप से उसे जाना पडा और एक बार में जीप का खर्चा 2000 रुपये होता था।

32. पैरा-4 में उसने यह स्वीकार किया है कि वह कक्षा ग्यारहवीं तक पढा है। उसने वर्तमान में भी डॉ0 अनुपम गुप्ता के यहाँ इलाज चलना बताया है। किन्तु आवेदन प्रस्तुति के बाद के कोई भी चिकित्सीय दस्तावेज इलाज संबंधी पेश नहीं किये हैं और उसने न्यायालय में भी स्वयं बिना किसी सहायता के चलकर आना और कथन देना पैरा-5 में स्वीकार किया है। इससे भी उसकी बताई गई शारीरिक क्षमता की कमी प्रमाणित नहीं होती है। संजय शर्मा अ0सा0-2 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-6 में दो तीन बार अपनी मोटरसाइकिल से ग्वालियर इलाज को ले जाना बताया है।

33. आवेदक की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में प्र0पी0-9 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनांक से चार दिन वह एम0एस0 हॉस्पिटल ग्वालियर में भर्ती रहा था। उसके बाद दिनांक 06.01.09 और 18.02.09 को उसके द्वारा चिकित्सक को जाकर दिखाना प्रकट होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुर्घटना में आई चोट के उपचार के लिये आवेदक अपने गृह स्थान से ग्वालियर आ जाकर इलाज कराता रहा है। आवागमन संबंधी कोई दस्तावेज उसकी ओर से प्रस्तुत नहीं हैं किन्तु इस बिन्दु पर न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है कि उपचार के लिये उसे कई बार संबंधित चिकित्सक के पास आना जाना पडा है और उसके दाहिने पैर में अस्थिभंगन था। ऐसे में निश्चित रूप से उसे अटेण्डर की सहायता लेनी पडी जो अ0सा0-2 के अभिसाक्ष्य से भी प्रकट होती है। ऐसे में आवेदक उपचार में खर्च की गई राशि जिनके संबंध में बिल व रसीदें प्र0पी0-10 से 13 व प्र0पी0-15 से 20 तक की पेश की गई हैं, जिनका खण्डन नहीं है जो राशि इलाज में खर्च होना मानी जावेगी जिसका कुल योग 14492/-रुपये होता है।

34. प्र0पी0-14 के रूप में आवेदक के पिता रामजीलाल शर्मा द्वारा क्षेत्रीय जन कल्याण परिषद में बतौर दान में जमा की गई राशि का प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। न ही उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण है इसलिये उक्त रसीद की राशि आवेदक प्राप्त करने का पात्र नहीं है।

35. चूंकि आहत को दुर्घटना में अस्थिभंजन हुआ था जिसकी वजह से उसे उपचाररत रहने के दौरान और उसके बाद विशेष पौष्टिक आहार पर अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ा जिस मद में भी वह राशि पाने का पात्र है और पैर की चोट को देखते हुए अटैण्डर की सहायता मद में भी वह बिना प्रमाण के राशि पाने का पात्र है। तथा विविध खर्च के रूप में भी कुछ राशि उसे दिलाई जाना आवश्यक होगा। अतः वित्तीय हानि के रूप में आवेदक दांहिने पैर की फीमर नामक हड्डी में अस्थिभंजन को देखते हुए उसकी शारीरिक क्षति के मद में 25000/-हजार रुपये एवं व्यय की गई राशि के मद में 14492/-रुपये, अटैण्डर के रूप में 5000/-, पौष्टिक आहार में 5,000/-रुपये और विविध खर्च में 5,000/-रुपये की राशि पाने का पात्र है। तथा आवेदक दुर्घटना की चोट के कारण विवाह की संभावना में भी कमी होना बताई है। उसका वर्तमान स्थिति में विवाहित होने का बिन्दु नहीं आया है जबकि वर्तमान में उसकी उम्र करीब 27 साल हो चुकी है। अतः गैर वित्तीय हानि के मद में शारीरिक व मानसिक पीड़ा, विवाह की संभावना और सौम्यता की कमी आदि के लिये 10,000/-रुपये दिलाये जाना उचित होगा।
36. जहाँ तक भविष्य में उपचार होने का प्रश्न है, इस संबंध में अभिलेख पर कोई भी चिकित्सीय प्रमाण पेश नहीं किया गया है। जो यह दर्शित करे कि आवेदक का वर्तमान में भी कोई उपचार हो रहा है। इसलिये भविष्य में इलाज के खर्च की संभावना के मद में कोई राशि आवेदक प्राप्त करने का पात्र नहीं है। इस तरह से आवेदक कुल 64,492/-रुपये की राशि पाने का पात्र होना पाया जाता है।
37. जहाँ तक क्षतिपूर्ति राशि का भार वहन करने का बिन्दु है। अनावेदक क्र0-1 व 2 एकपक्षीय है। अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी के लिये आवेदक की हैसियत तृतीय पक्ष की है। ऐसे में आवेदक अनावेदकगण से संयुक्ततः व पृथक्ततः उक्त क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का पात्र होना अभिनिर्धारित किया जाता है। चूंकि दुर्घटनाकर्ता वाहन अनावेदक क्र0-3 के यहाँ दुर्घटना दिनांक को वैध रूप से बीमित था इसलिये क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी पर डाला जाना उचित व न्यायसंगत है क्योंकि यदि बीमा पॉलिसी की किसी शर्त का भी उल्लंघन हो तो बीमा कंपनी मालिक व चालक से ही वसूलने की अधिकारिणी होगी। और इस मामले में भुगतान वाद वसूली (पे एण्ड रिकवरी) का फॉर्मूला ही अपनाया जा सकता है।
38. अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत शंभूदयाल विरुद्ध न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2009 भाग-3 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0-97 पेश किया है जिसमें भारी पेट्रोल टैंकर के चालक के पास हल्के मोटरयान चलाने की अनुज्ञप्ति होने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना गया था। वर्तमान मामला तृतीय पक्ष की क्षतिपूर्ति का है और तृतीय पक्ष की जोखिम अनावेदक बीमा कंपनी की जारी बीमा पॉलिसी में शामिल है इसलिये उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू नहीं होगा। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-4 आवेदक के पक्ष में व अनावेदकगण के विरुद्ध उक्त अनुसार निर्णीत किया जाता है।

## —::— वा द प्र श न क मां क—5 —::—

39. उपरोक्त वर्णित विश्लेषण मुताबिक आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णय की कण्डिका 36 के मुताबिक प्राप्त करने का पात्र होकर दुर्घटना में आई चोट के फलस्वरूप बतौर क्षतिपूर्ति पाने का पात्र माना गया है। फलतः आवेदक का आवेदन पत्र वाद विचार आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक के पक्ष में और अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

1. आवेदक अनावेदकगण से कुल क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 64,492/-रूपये (चौंसठ हजार चार सौ बयानवे रूपये) अधिनिर्णय दिनांक से दो माह के भीतर प्राप्त करने का अधिकारी है जिस पर अवॉर्ड दिनांक से छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा जिसकी अदायगी न होने पर वैधानिक प्रक्रिया के तहत वसूलने का अधिकारी भी होगा।
2. उक्त क्षतिपूर्ति राशि 64,492/- रूपये के भुगतान का प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्र0-3 बीमा कंपनी पर होगा जो बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन होने से अनावेदक क्र0-1 व 2 से वैधानिक कार्यवाही कर वसूल कर सकेगा।
3. क्षतिपूर्ति राशि जमा होने पर आवेदक को राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता के माध्यम से विधिवत उसके वयस्क होने को देखते हुए भुगतान किया जावेगा।
4. अनावेदकगण अपने व्यय के साथ साथ आवेदक का प्रकरण व्यय भी संयुक्ततः व पृथक्ततः वहन करेंगे जिस पर अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या सारिणी मुताबिक जो भी कम हो, वह जोड़ा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक:-02 मार्च 2015

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड